

जबलपुर : सड़क हादसे में महाकुम्भ से लौट रहे 6 तीर्थ यात्री मरे

जबलपुर, 24 फरवरी। जिले के सिहोरा तहसील के पहरेवा में भीषण सड़क हादसे में छः लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक, सोमवार की सुबह ये भीषण सड़क हादसा, खिलौला थाने के पहरेवा गांव के नजदीक हुआ। यात्री बस और एक एसयूवी कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में एसयूवी कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार छः लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल जबलपुर रेफर



इंदिरा गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी व छः विधायकों के निलम्बन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बायकॉट कर दिया। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेसियों ने सदन से बाहर आकर विधानसभा की सीढ़ीयों पर नारेबाजी की।

■ कर्नाटक के तीर्थ यात्रियों की एसयूवी एक बस से टकरा गई जिससे एसयूवी में सवार सभी 6 यात्री मारे गए।

क्रिया गया है। प्रयागराज के महाकुम्भ में स्नान और दर्शन कर श्रद्धालु गाड़ी से लौट रहे थे कि सोमवार की तड़के 4:30 उनकी गाड़ी भीषण सड़क हादसे की शिकार हो गई। ये सभी श्रद्धालु कर्नाटक के रहने वाले थे और अपने घर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही सिहोरा-खिलौला की पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की पड़ताल कर रही है। मृतकों की पहचान विरूपक्सि गुमती, बस्वराज कुरति, बालाचंद्र और राजू के रूप में हुई है। वहीं, घायलों की पहचान सदाशिव और मुस्ताफ के रूप में हुई है। बता दें कि 11 फरवरी को इसी रूट पर एक ट्रैवलर गाड़ी टूट से टकरा गई, थोड़ा दूर अंध्र प्रदेश के आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी।

गतिरोध नहीं टूटा, कांग्रेस ने बायकॉट किया, मार्शलों के घेरे में विधानसभा चली

स्पीकर और मुख्यमंत्री की पहल असफल रही, डोटासरा द्वारा "अपशब्दों" पर माफी नहीं माँगने से मामला अटका

जयपुर, 24 फरवरी। विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल में हंगामे के साथ शुरू हुई। बाद में गतिरोध समाप्त करने पर चर्चा हुई और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देववानी तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से भी पहल की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में अपने कक्ष में बैठकर संसदीय कार्य मंत्री एवं अन्य नेताओं से गतिरोध तोड़ने के लिए कहा।

विधानसभा में चार दिनों से चल रहा कांग्रेस विधायकों का धरना सोमवार को बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। इंदिरा गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन

■ धरने के दौरान डोटासरा द्वारा स्पीकर के लिये प्रयोग किये गये अपशब्दों की रिकॉर्डिंग किसी विधायक ने स्पीकर को सुना दी। इससे बात और ज्यादा बिगड़ गई।

■ विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को रोकने के लिये पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया तथा वॉटर कैनन का प्रयोग किया।

कर रहे कांग्रेस विधायक बायकॉट की घोषणा कर सदन से बाहर निकल आए। कांग्रेस विधायक जब बाहर निकले तो निलंबित विधायक भी बाहर आए। कुछ देर बाद निलंबित विधायक हाकम अली, जाकिर हुसैन गैसावत, संजय

जाटव जब दोबारा विधानसभा के अंदर जाना चाह रहे थे, तो सुरक्षा कर्मियों ने नियमों का हवाला देकर उनको अंदर जाने से रोक दिया। इस समय उनकी सुरक्षाकर्मियों से तीखी नोक-झोंक हुई। स्थिति को बिगड़ता देख वरिष्ठ कांग्रेस

विधायक राजेन्द्र पारोकि ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इससे पहले, बजट पर बहस के दौरान मार्शलों को घेराबंदी में सदन की कार्यवाही चली, इस बीच कांग्रेस विधायक वैनल नारेबाजी करते रहे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एक सदस्य पर सदन को हाईजैक करने का आरोप लगाया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष जूली ने बायकॉट की घोषणा की।

सोमवार को अध्यक्ष वासुदेव देववानी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित, 6 विधायकों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘आप के 32 विधायक मेरे संपर्क में हैं, पाला बदलने के लिए’

संभल : सार्वजनिक सम्पत्ति पर है कुआं

स्टालिन ने मोदी से सीख ली: अभी से 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे

नई दिल्ली, 24 फरवरी। यूपी सरकार ने संभल हिंसा मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस कुएं की बात हो रही है, वह मस्जिद के बाहर है और सार्वजनिक भूमि पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि

■ यूपी सरकार ने संभल की शाही मस्जिद के बाहर स्थित विवादित कुएं पर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी।

याचिकाकर्ता (शाही जामा मस्जिद समिति) ने भ्रामक तस्वीरों का उपयोग करके स्थान को गलत तरीके से पेश किया, ताकि यह दिखाया जा सके कि विवादित कुआं मस्जिद के अंदर है। इससे पहले, शाही जामा मस्जिद समिति ने एक आवेदन दायर किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तैयारी के तहत, पूरा प्रचार करने में जुट गये हैं कि केन्द्रीय सरकार नई शिक्षा नीति के तहत तमिलनाडु पर हिन्दी थोपने को तत्पर है

–लक्ष्मण वेंकट कुची–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 24 फरवरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भाषा के मुद्दे पर तो इमोशनल छक्के लगा ही रहे हैं, इसके साथ-साथ अब उन्होंने 2026 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए "गवर्नर्स डिलिवरी" का रास्ता भी अपनाया है। अर्थात् वो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं व नीतियों को क्रियान्वित हो। पूर्व के विपरीत, सन् 2021 में विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य की सत्ता संभालते ही स्टालिन, भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी की तरह चुनाव अभियान मोड में आ गए थे। अभी तक अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने

■ भाषा के भावात्मक मुद्दे के बाद, स्टालिन अब 2026 के चुनाव की दृष्टि से शिक्षा और हेल्थकेयर स्कीम्स पर फोकस कर रहे हैं तथा लाइलाज बीमारियों, जैसे डायबिटीज व ब्लडप्रेसर की दवाई को सस्ते न्यूनतम दामों पर उपलब्ध कराने के लिये "मुदालवर मरुन्धगम्" (मु.मंत्री की फार्मसी) की व्यापक योजना बनाई है। इन फार्मसी की दुकानों को चलाने वालों को सरकार की तरफ से "सब्सिडी" भी दी जायेगी। इन क्रॉनिक बीमारियों की दवाई 75 प्रतिशत डिस्काउंट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

■ इन दवाई की दुकानों के जरिए स्टालिन मोसेज देना चाहते हैं, विशेषकर तमिलनाडु के मध्यम वर्ग को, कि सस्ती दवाइयों मिलना बहुत राहत देगा तथा केन्द्रीय सरकार चाहे जितने भी रोड़े अटकाये, स्टालिन की सरकार अपनी जनता को, राहत पहुँचाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

“गवर्नर्स डिलिवरी” मॉडल पर खास ध्यान दिया है और साथ ही साथ ग्रोथ व डवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, तथा अक्सर डेटा के माध्यम से उपलब्धि की बात करते हैं। चाहे वो ग्रोथ

ही या सामाजिक संकेतक अथवा अन्य आर्थिक मापदंड, वे अपने भाषणों में इनका उल्लेख करते थकते नहीं हैं। अभी तक वे भाग्यशाली रहे हैं कि विपक्ष में उपलब्धि की बात करते हैं। चाहे वो ग्रोथ की राजनीति में एन्टी उन्हें फायदा अधिक देगी, नुकसान नहीं। लेकिन वर्तमान में उनका फोकस रेवडियों के वितरण तथा नए और पुराने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

20,000/- से अधिक का लोन चैक या अन्य ऑनलाईन बैंकिंग माध्यमों से ही चुकाया जा सकता है, ताकि इसका रिकॉर्ड अधिकारियों को उपलब्ध हो सके। हैरानी की बात है कि इन सभी टैक्सदाताओं के खिलाफ निर्धारण अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कोई भी टिप्पणी या निष्कर्ष नहीं लिखा था, जिसके आधार पर इन टैक्सदाताओं के खिलाफ धारा 271-ई के तहत कार्यवाही हो सकती थी।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और 13 हाईकोर्ट और 13 'एपिलेट टिब्यूनाल' में दिए गए निर्णयों को आधार बनाते हुए कहा कि

विजेन्द्र गुप्ता दिल्ली के स्पीकर बने

नयी दिल्ली, 24 फरवरी। विजेन्द्र गुप्ता सोमवार को सर्वसम्मति से दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गये। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा

■ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा प्रोटेम स्पीकर अरविंदर लवली ने स्पीकर पद के लिए गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा।

अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक विजेन्द्र गुप्ता के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका कबिनेट मंत्री मनीजंदर सिंह सिरसा ने समर्थन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुल 400 करोड़ रूपए की पैनल्टी से राहत मिल सकती है, करदाताओं को

– यादवेन्द्र शर्मा –

जयपुर, 24 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनील अग्रवाल समेत 9 याचिकाकर्ताओं द्वारा "सेन्ट्रल सर्कल" असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के तहत गलत तरीके से "पैनल्टी" लगाए जाने के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अयनौश जिन्नाम और न्यायाधीश शुभा मेहता ने याचिकाकर्ताओं को राहत दी है, और इनकम टैक्स विभाग द्वारा भविष्य में टैक्सदाता के खिलाफ अवांछित कार्यवाही करने के खिलाफ मौखिक टिप्पणी भी की है। इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका परेवी के लिए पेश हुए थे। दरअसल सुनील अग्रवाल के साथ कई अन्य टैक्सदाता थे, जिनको इनकम टैक्स के

अधिकारियों ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 69-सी व 69-ए के तहत नोटिस भेजा था, जिसके तहत टैक्सदाता के द्वारा किसी भी सम्पत्ति जेवर, गहना, सोना या अन्य मूल्यवान वस्तु की खरीद के सम्बन्ध में उपयुक्त दस्तावेज या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा पाने या उस वस्तु को खरीदने के लिए आय का खोत नहीं दर्शा पाने पर नोटिस भेजा जाता है।

हैरानी की बात है कि 1 अक्टूबर 2024 को 'एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स' द्वारा इनकम टैक्स की धारा 271-ई के तहत इन सभी टैक्स दाताओं पर पैनल्टी लगाने का

नोटिस जारी कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि 271-ई के तहत उन टैक्सदाताओं पर पैनल्टी लगाई जाती है, जिन्होंने 20,000/-

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर इनकम टैक्स एक्ट के तहत निर्धारण अधिकारी (असैसिंग ऑफिसर) की रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष या तथ्य पैनल्टी लगाने के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कमिश्नर व अदालतें करदाताओं पर पैनल्टी लगाने की कार्यवाही नहीं कर सकती।

■ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों का हवाला देते हुए यह आदेश दिए।

से अधिक की रकम का कर्ज नगद में चुकाया ही चाहे वह लोन उसके नाम पर हो या संस्था के नाम। इनकम टैक्स एक्ट के तहत

हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़े कुछ याचिकाकर्ताओं को राहत दी